Title : Introduction of protection of women from Domestic Violence Bill, 2005.

PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC

VIOLENCE BILL, 2005

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No. 18 − Protection of Women from Domestic Violence Bill, 2005.

मान्व संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : महोद्य, मैं प्रस्ताव करती हूं -

> "कि ऐसी महिलाओं के, जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुांगिक व्ियों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोद्य, मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ कहना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोद्य : आप चाहें, तो कह सकती हैं।

श्रीमती कान्ति सिंह : महोद्य, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करती हूं। घरेलू हिसों से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर संरक्षण विधेयक, 2005 । आज इस देश में उन लाखों महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा से जूझ रही हैं, उन महिलाओं के लिए, जहां पर लिंग भेद हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी हिसा, यौन उत्पीड़न इत्यादि पूरे देश में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, इन सब का कारण यह है कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं के प्रति हीन दृटिकोण बना हुआ है। यह किसी जाति, धर्म या समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग में फैला हुआ है।

<u>17.32 hrs.</u> (Shri Arjun Sethi <u>in the Chair</u>)

घरेलू हिंसा मान्वाधिकार हनन का एक रूप है और विकास में एक बड़ी बाधा है। वियना में व्र् 1994 में और बीजिंग में व्र् 1995 में इस बात का समर्थन किया गया और यहां तक कि संयुक्त राट्र ने भी इस बात का समर्थन किया कि सारे सदस्य राट्रों को महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। कई देशों ने इस हिंसा को रोकने के लिए कानून भी बनाए हैं। इनमें प्रमुख हैं, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू.एस., यहां तक कि विकासशील देश जैसे कि साउथ अफ्रीका और मलेशिया ने भी इसका समर्थन किया है। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में घरेलू हिंसा अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि यह उत्पीड़न करने वाले कोई और नहीं,उनके अपने परिवार के सदस्य होते हैं। सामाजिक और पारिवारिक दबाव में आकर महिलाएं इस उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज नहीं उठाती हैं, इसलिए उसका संरक्षण करना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। महिलाओं के पास आर्थिक संशाधन उपलब्ध न होने की वजह से

घरेलू हिसां की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और कई बार सहायता पीड़ित तक नहीं पहुंच पाती है। महोद्य, इस देश में कहा जाता है, " यत्र पूज्यंते नारी, रमन्ते तत्र देवता" , लेकिन यह सिर्फ कहने की बात है, हम महिलाओं को देवी बनाकर के और उनको पूजा का रूप देकर, उनका तरह-तरह से शोाण करते हैं, चाहे वह दहेज के नाते हो या फिर कहीं कहा जाता है कि पत्नी सही खाना नहीं बना रही है, नमक ज्यादा डाल देती हैं या फिर उनके परिवार के द्वारा उन्हें हमेशा से प्रताड़ित किया जाता रहा है। कहा गया है " जा तन में झांई पड़े अंधा होत भुजंग, तनकी गाती को क्या कहिए, जो नित नारी के संग।" आप समझ सकते हैं कि पितृ सत्तात्मक समाज में नारी की स्थिति भ्रमात्क है। नारी समझ ही नहीं पाती है कि वह कहां पर खड़ी है? रवीन्द्र नाथ जी ने कहा है, " पवित्र नारी सृटि की सर्वश्रेठ कृति है, सृटि के वात्सल्य, स्नेह, ममत्व की अमृतधारा नारी, ह्रदय से निकलकर इस संसार को अमृत दान कर रही है।" किंतु यही नारी जो सब को अमृत और अमरत्व देती है, महादेवी जी के शब्दों में, चाहे हिंदू नारी की गौरवगाथा से आकाश गूंज रहा हो, चाहे उसके पतन से पाताल कांप उठा हो, किंतु उसके लिए न सावन हरे, न भादौं सूखे की कहावत चरितार्थ होती रही है। उसे अपने हिमालय को लज्जा देने वाले उत्कर्ा तथा समुद्र तल की गहराई से स्पर्धा करने वाले अपकर्ा, दोनों का ही इतिहास उसे आसुंओं से ही लिखना पड़ा।

संभव है कि भवि्य में लिखना पड़े । यही सच्चाई है जो भारतीय नारी की व्यथा को दर्शाती है। इस बिल को लाने का यही मकसद है। जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को इंडियन पीनल कोड की धारा 498 के तहत दायर किया जाता है। लाखों महिलाएं इन अत्याचारों से प्रताड़ित हो रही है। तब जाकर उनको कहीं न्याय मिलता है। यही वजह है कि हम लोग उन महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए व्यापक रूप से यह विधेयक लाए हैं।

हमारी सरकार महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसका उल्लेख हमारे राट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ` महिला एवं बच्चे ` नामक खंड में भी किया गया है। हमारे यूपीए सरकार का नेतृत्व डॉ. मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी कर रही हैं। इन लोगों के नेतृत्व में हमें विधेयक लाने का मौका मिला जिससे हम महिलाओं को समाज में राहत दे सकेंगे।

हमारे संविधान में तथा हमारे देश द्वारा अंगीकृत किए गए अन्तर्राट्रीय दस्तावेजों में महिलाओं को वास्तविक न्याय की गारंटी दी गई है तथा घरेलू हिंसा से संबंधित कानून इस प्रकार की गारंटी अन्तर्निहित भावना का कानून के रूप में ढालने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ऐसा कानून परिवार में किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति में महिलाओं को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए जरूरी है। ऐसे प्रावधान दंड विधि में मौजूद नहीं हैं और इसलिए इस विधेयक का महत्व और बढ़ जाता है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि ` घरेलू हिस्सा से संरक्षण विधेयक, 2002` 13वीं लोक सभा में 8 मार्च, 2002 को पेश किया गया था। विभाग से संबंधित मान् व संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक की जांच की और अपनी रिपोर्ट दी। विधेयक 13वीं लोकसभा भंग हो जाने के कारण व्यपगत हो गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग को घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2002 की पुनः जांच करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इसलिए, विभाग ने विधायी मामलों में विशेाज्ञ महिला अधिकार संगठनों, संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों, राट्रीय तथा राज्य महिला आयोगों के साथ परामर्श कर उपरोक्त विधेयक के प्रावधानों की पुनः जांच की। इन परामर्शों के आधार पर सरकार ने अब एक व्यापक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक की मुख्य विशेाताएं इस प्रकार हैं :-

इस विधेयक के अन्तर्गत उन महिलाओं को लाने का प्रयास किया गया है जिन का दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति से कोई संबंध है अथवा रहा है और ऐसे मामलों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया गया है जिन में दुर्वयवहार करने वाला व्यक्ति तथा पीड़ित महिला, दोनों पक्षों के बीच समरक्तता, विवाह तथा दत्तक ग्रहण पर आधारित कोई रिश्ता है तथा जो एक ही परिवार में एक साथ रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिजनों के साथ संबंधों को भी इस विधेयक में शामिल किया गया है। यहां तक कि बहनें, विधवाएं, माताएं, एकल महिलाएं तथा दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के साथ रहने वाली महिलाएं भी प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत कानूनी संरक्षण प्राप्त करने की हकदार हैं। तथापि, जहां एक ओर इस विधेयक के अन्तर्गत पत्नी और विवाह की प्रकृति के

संबंध में रह रही महिला अपने पति तथा पुरुा साथी के किसी भी रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है, वहीं यह विधेयक पति और पुरुा साथी के महिला रिश्तेदारों को पत्नी अथवा महिला साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं देता है।

इस विधेयक में घरेलू हिंसा की परिभाा में वास्तविक दुर्व्यवहार अथवा शारीरिक, यौन, शाब्दिक, भावनात्मक अथवा आर्थिक दुर्व्यवहार के खतरे को शामिल किया गया है। महिला अथवा उसके संबंधियों से दहेज की गैर-कानूनी मांग करके किए जाने वाले उत्पीड़न को भी इस परिभाा में शामिल किया गया है। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Thawar Chandji, please.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

श्रीमती कान्ति सिंह : इस विधेयक में महिला के आवास के अधिकार के संरक्षण का प्रयास किया गया है। इसमें महिला के ससुराल अथवा संयुक्त परिवार में रहने के अधिकार का उपबंध भी किया गया है, चाहे ऐसे घर अथवा परिवार पर महिला का स्वामित्व या अधिकार हो अथवा नहीं, दण्डाधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले निवास आदेश के द्वारा इस अधिकार को संरक्षण किया जाएगा। इस विधेयक में दुर्व्यहार करने वाले व्यक्ति को घरेलू हिंसा या अन्य किसी विनिर्दिट कार्य में सहायता करने अथवा ऐसे कोई अन्य कार्य करने, कार्य स्थल अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान, जहां सामान्यतः पीड़ित महिला का आना-जाना हो, में प्रवेश करने, पीड़ित महिला से बात करने का प्रयास करने, दोनों पक्षों द्वारा प्रयुक्त की जा रही परिसम्पत्तियों पर केवल अपना अधिकार स्थापित करने तथा पीड़ित महिला या घरेलू हिंसा के मामले में उसकी सहायता करने वाले उसके संबंधियों या अन्य किसी व्यक्ति के साथ हिंसा कराने से रोकने के लिए दण्डाधिकारी को पीड़ित महिला के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है। इस विधेयक में पीड़ित महिलाओं को उनकी चिकित्सा, जांच कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय प्राप्त करने के संबंध में सहायता प्रदान करने हेतु सेवा प्रदाताओं के रूप में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति तथा गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरणों का उपबंध किया गया है।

मैं आशा करती हूं कि इस विधेयक, जिस पर इसके निरूपण के समय व्यापक चर्चा हुई तथा इसमें संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें शामिल हैं, इस सदन में हमें माननीय सदस्यों का एकमत समर्थन मिलेगा।

---

* Not Recorded.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मैं यह कहूंगी कि बहुत दिनों से एक प्रकार से इस बिल की राह देखी जा रही थी। बीजिंग में जब महिला अधिकारों पर बातचीत हुई, उसमें अलग-अलग प्रकार से महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कुछ अकॉर्ड हुआ था, डिक्लेरेशन हुआ था। उसमें एक कमेटी भी बनी थी, हम सीडॉ के सदस्य हैं, जिसमें कन्वेन्शन महिलाओं के लिए था "एलिमिनेशन ऑफ ऑल सार्ट्स ऑफ डिस्क्रिमीनेशन अगेंस्ट वूमेन", इसके अन्तर्गत तब से तय था कि एक ऐसा कानून लाया जाए या बनाया जाए जिसमें महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होती है, कहीं न कहीं सिविल लॉ से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। वैसे तो आईपीसी के अन्तर्गत या सीआरपीसी के अन्तर्गत सूट दायर किए जा सकते हैं और इसके लिए आईपीसी की धारा 498(ए) वगैरह भी है। लेकिन कई बार यह होता है कि महिलाएं यह नहीं चाहती हैं कि हम न्यायालय में जाएं और अपने पति को जेल में ही भिजवाएं। वे यह नहीं चाहती हैं लेकिन सोल्यूशन जरूर चाहती हैं। यह जरूर चाहती हैं कि अन्याय से छुटकारा तो मिले, न्याय तो मिले। इसलिए एक ऐसे सिविल लॉ की आवश्यकता है।â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : जेल भेजने लायक व्यवहार होगा तो जेल भी भेजा जाएगाâ€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : देवेन्द्र प्रसाद जी, आप सुनिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आप बात तो सुनिए, जो कानून है वह कानून तो है ही, जेल में भी डालना आवश्यक हो तो उसमें भी धैर्य तो दिखाना ही पड़ेगा। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shrimati Sumitra Mahajan.

(Interruptions) â€¦*

सभापति महोदय : आपकी तरफ से सदस्या बोल रही हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय सभापति जी मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि हम लोग किसी पुरुष के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहती हूं।â€¦ (व्यवधान)

* Not Recorded.

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : इन्हें अभी कहने दीजिए क्योंकि बिल के बाद तो नहीं कह पाएंगे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : बिल के बाद की बात नहीं है। यहां जैसे उत्तेजना हो रही है जबकि यह विधेयक किसी के खिलाफ नहीं है। वास्तविक रूप से हम महिला को अधिकार देकर सशक्त बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं, अगर स्त्री सशक्त बनती है तो पूरे परिवार को सशक्त बनाती है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : यह जरूरी है।â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यह बहुत जरूरी है। आप इस उदाहरण को देखिये। मैं आपको बताती हूं कि जब पति, पत्नी या स्त्री, पुरुष मंदिर जाते हैं तो माथा टेकने के बाद मंदिर का पुजारी हाथ पर प्रसाद रखता है। यह मेरा अनुभव है, आप अपने अनुभव को टटोलिये। पुजारी जब हाथ पर प्रसाद रखता है तो पुरुष साधारणत्या प्रसाद मुंह में डाल लेता है। लेकिन जो स्त्री होती है, चाहे वह अनपढ़ हो, सुशिक्षित हो या गांव की महिला हो, यदि वह ग्रामीण महिला है तो वह अपने पल्लू में प्रसाद बांध लेती है। यदि वह शहरी महिला है तो अपने पर्स में रुमाल या कागज ढूंढेगी, लेकिन वह उस प्रसाद को बांधकर अपने घर ले जायेगी, ताकि वह उस प्रसाद को अपने परिवार में सबको थोड़ा-थोड़ा दे दे। यह साइक्लोजी है।â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : गांव की महिला तो खाना भी सबके बाद में खाती है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यह बिल्कुल सही बात है, वह सबको खिलाने के बाद खाना खाती है और कई बार उसे इसके लिए कम्पैल भी किया जाता है कि सबको खिलाने के बाद ही वह स्वयं खाये, इसका भी विरोध होना चाहिए। मैं कहना चाहती हूं कि अगर स्त्री को सशक्त बनाया जाता है तो एक प्रकार से यह मानवाधिकार की बात है। जब हम पूरे परिवार की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें स्त्री ही केन्द्र बिन्दु है। स्त्री के आसपास ही सारा परिवार घूमता है। चाहे वह मां के रूप में हो, चाहे वह बहन के रूप में हो और चाहे वह पत्नी के रूप में हो। लेकिन घर में उसकी जो परिस्थिति रहती है, वह सदैव अच्छी नहीं होती। मैं यहां बैठकर दो-चार महिलाओं की बात नहीं कर रही हूं। मैं पूरे हिन्दुस्तान की बात भी नहीं कर रही हूं। मैं विदेशों में घूमी हूं और बहुत से ऐसे देश हैं जो तकनीकी प्रगति के मामले में बहुत आगे बढ़ गये हैं, लेकिन वहां की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि परिवारों में एक पितृसत्तात्मक पद्धति चल रही है। लेकिन यह क्यों हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हम वर्ष 1947 में आजाद हुए और हम अपने देश को प्रजातंत्रात्मक तरीके से चला रहे हैं। लेकिन हमने अपने घर के प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से कभी नहीं सोचा। इस बारे में भी सोचना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो बिल लाया गया है कि महिलाओं के ऊपर घरों में जो अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ जो आवाज उसे उठानी चाहिए, वह आवाज खुद नहीं उठाती है। हम कई बार देखते हैं कि महिला पैसा कमाकर लाती है। यदि वह मजदूरी करके पैसा कमाकर लाती है तो वह यह सोचकर आठ दिन की मजदूरी का पैसा घर में लाती है कि इससे वह अपने लड़के और लड़की की फीस जमा कर देगी और थोड़ा अनाज घर ले जायेगी। मुझे कहना नहीं चाहिए कि पुरुष को मजदूरी मिलने के बाद उसके कदम दूसरी तरफ जायेंगे और वह झूमता हुआ वापस आयेगा। लेकिन स्त्री अपनी मजदूरी अपने घर ले जायेगी। वह अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती है। लेकिन जब पुरुष झूमता हुआ घर आता है तो स्त्री के साथ मारपीट करके आधी मजदूरी छीनकर ले जाता है। यह चीज हमें बहुत से घरों में देखने को मिलती है। महिला बहुत से कष्ट सहकर भी अपने परिवार को ऊपर उठाना चाहती है। लेकिन उसके लिए जो हमारी सोच है, उसके अनुसार मैं कहूंगी कि घरेलू अत्याचार उसके खिलाफ गर्भ से ही शुरू होता है। चूंकि हम उसके जन्म को ही नकार रहे हैं। यदि लड़की जन्म भी ले लेती है तो किरण जी आपके राजस्थान में कहा जाता है - पत्थर आ गया या पत्थर को जन्म दिया है या चोर आ गया। जैसे वह डाका डालकर दहेज के रुप में घर की सम्पत्ति ले जायेगी। इसके अलावा कोई कहता है कि अंधेरा छा गया। मुझे इस बारे में कही गई कविता की दो लाइन सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ - "बाहर बिछा दो खटिया, जच्चा के हो गई बिटिया" यानी जच्चा और बच्चा दोनों की खटिया बाहर कर दो। इस मानसिकता से हम घर में बेटी को जन्म देते हैं।

यह भी कहते हैं कि स्त्री पराया धन है। महिला सोचती है कि आखिर मैं कौन हूं, किस तरह से मेरे बारे में बात हो रही है? हमारे यहां कहा गया है कि - यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। नारी को पूजनीय कहा गया है। मैं नारी हूं, लेकिन बेटी, बहू और माँ प्यारी भी हूं, फिर भी मेरी स्थिति क्या है? पिता कहे पराया धन है, ससुराल में कहाँ अपनापन है? क्या ससुराल में अपनापन मिलता है? बेटा भी सुख न दे पाता - बेटे से भी सहारे की कोई गारंटी नहीं है। आजकल वृद्धाश्रमों की मांग बढ़ रही है। मैं जब महिला और बाल विकास मंत्री थी तो मैं कहती थी कि मुझे यह वृद्धाश्रम वाली बात अच्छी नहीं लगती। हमने स्वाधार योजना बनाई थी लेकिन आज उनकी मांग बढ़ रही है और कई सामाजिक संस्थाएं उसके लिए आगे आ रही हैं। बेटा भी सुख न दे पाता, हर कोई मुझे बोझ कहलाता। बचपन से सुना कि बोझ हूं और इसलिए अब ऐसा जाना है मैंने कि नारी होना एक गुनाह है - मन में यह भाव आने लगा कि नारी होना एक गुनाह है। अभिशाप मेरे जीवन का सहना और बस सहना है।

इस प्रकार की नारी की स्थित है और इसलिए घर में जो हिंसा होती है, इस हिंसा से उसको निजात दिलाने की बहुत आवश्यकता थी। जैसे अभी कहा गया, हमारी माननीय अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार में भी बिल तैयार किया गया था और स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। आप उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके लाए, मैं उस पर भी बात करूंगी। घरेलू हिंसा से महिलाओं को प्रोटैक्ट करने के संदर्भ में यह बिल यहां प्रस्तुत हुआ है। इस बिल में जो बातें अच्छी हैं, वे भी मैं कहूंगी। कुछ बातें जो हमें सोचनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि यह सिविल लॉ के रूप में हम लाए हैं, उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि डोमैस्टिक वायलैंस की जो कल्पना की है, उसमें केवल मारपीट को ही नहीं रखा है, बल्कि मानसिक प्रताड़ना को भी रखा गया है। हम लोगों के यहां जिन अलग अलग प्रकार से स्त्री की प्रताड़ना होती है उस पर भी यह विधेयक बात करता है। अगर हम देखें कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या 66 प्रतिशत है तो कुल अपराधों का 36 प्रतिशत केवल घरेलू हिंसा है। इसलिए इस बिल का महत्व और बढ़ जाता है। इस घरेलू हिंसा में अत्याचार करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, वह कहीं न कहीं घर में होता है। आजकल तो ऐसा होने लगा है कि पिता भी बेटी पर अत्याचार करता है। घर में बेटी के रूप में या बहन के रूप में महिलाओं को जो अत्याचार सहन करना पड़ता है, उसमें वह सोचती है कि इस अत्याचार के खिलाफ जाऊं तो कहां जाऊं। हर समय यह नहीं होता कि किसी आईपीसी की धारा के अंतर्गत कोर्ट में जाऊं। इसलिए यह जो प्रोटैक्शन ऑफिसर दिया गया है, यह प्रोटैक्शन ऑफिसर रखना बहुत अच्छी बात है। आपने बताया है कि उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या रहेंगी। प्रोटैक्शन ऑफिसर के साथ साथ आपने सर्विस प्रोवाइडर की बात कही है। यह वास्तविकता है कि पहले ऐसी संस्थाओं का काम घरों में होता था। घरों में बड़े-बुज़ुर्ग रहते थे और एकत्र कुटुम्ब पद्धति थी। सब बातें घर में ही सुलझ जाया करती थीं। अब कहीं न कहीं हमारे कुटुम्ब छोटे होते जा रहे हैं और इसलिए ऐसी संस्थाएं सर्विस प्रोवाइडर के रूप में बड़े-बुज़ुर्गों का काम करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियम बनाते समय एक बात ध्यान में रखें कि सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटैक्शन ऑफिसर के कामों में ओवरलैपिंग न हो जाए। दोनों को एक ही काम न सौंप दिया जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर प्रोटेक्शन आफिसर को लगता है कि किसी के साथ अन्याय होने वाला है तो वह सुओ-मोटो एक्शन ले सकता है या अत्याचार होने की संभावना है तो वह जा कर कंप्लेंट लिखवा सकता है या लिखवाने में मदद कर सकता है। इससे प्रोटेक्शन आफिसर पर कोई आंच नहीं आएगी। प्रोटेक्शन आफिसर के लिए यह मेंडेटरी होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए तब होती है जब

कोई आदमी आधी रात को घर से बाहर निकाल देता है। कई बार रात को मार-पीट कर बाहर निकाल देता है तो वह कहां जाएगी, इसलिए वह मार खा कर घर में ही दुख सहन करने को मजबूर होती है। घर के बाहर कदम निकालने पर महिला को वास्तव में इज्जत भी प्राप्त नहीं होती है। एक सामाजिक मानसिकता के आधार पर परित्यकता को देखने का दृटिकोण समाज का अलग होता है। कानूनी रूप से हम महिलाओं को न्याय दे रहे हैं, लेकिन सही मायनों में वह न्याय पाने से वंचित रहती है। जब तक यह दृटिकोण नहीं बदलेगा तब तक वह स्त्री अन्याय के खिलाफ घर के बाहर कदम नहीं रखना चाहेगी।

दूसरी बात यह है कि वह बाहर कदम रख कर कहां जाएगी, इसलिए प्रोटेक्शन आफिसर को कहा गया है कि वह शैल्टर होम को मेंडेटरी करें। महिला को रखना जैसी आपने जो बातें कही हैं, वे बहुत अच्छी हैं। पीड़ित महिलाओं के वहां पर कुछ दिन रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमने कई योजनाएं बनाई थीं। जब मैं महिला बाल विकास मंत्री थी तो हमने इस प्रकार की कई योजनाएं जैसे स्वाधार बनाई थीं। इसी बात को ध्यान में रख कर योजनाओं को बनाया गया था और शैल्टर होम्स को मेंडेटरी किया जाए।

आपने महिलाओं के लिए मेडिकल सुविधा की बात भी बहुत अच्छी कही है। जो बातें आपने अच्छी कही हैं, उन्हें मुझे अच्छा कहना ही पड़ेगा। कई महिलाओं के साथ मार-पीट होती है तो ऐसे समय में मेडिकल की सुविधा भी महिलाओं को मिलनी चाहिए। महिलाओं को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है इसलिए प्रोटेक्शन अधिकारी को अधिकार दिया है कि वह मेडिकल को मेंडेटरी कर सकता है। इससे पीड़ित महिला को मेडिकल सुविधा देनी ही पड़ेगी। सर्विस प्रोवाइडिंग संस्थाएं हैं और प्रोटेक्शन आफिसर के बीच में आपस में ओवरलैपिंग न हो जाए, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है।

एक बात यह भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने इसमें कही है कि सैंसेटाइजेशन एंड अवेयरनैस ट्रेनिंग आफ दि पुलिस आलसो, अधिकारियों के साथ पुलिस का भी योगदान होना चाहिए क्योंकि आज कल जो देखने में आ रहा है जैसे आईजी, बिहार की कहानी छोटे पर्दे पर बहुत घिनौने तरीके से दिखाई गई है, उसका हमें विरोध करना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारा मीडिया भी एक प्रकार से पोर्नोग्राफी से कम नहीं दिखा रहा है। इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उस आदिवासी महिला पर थाने से ले कर आईजी के आफिस तक अत्याचार हुए, उससे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारी संवेदनशीलता कम होती जा रही है। सैंसेटाइजेशन और अवेयरनैस के कैंप्स लगाने की बात कही है, यह भी बहुत अच्छी बात है और इसे भी मेंडेटरी करना चाहिए। मैं इसे आवश्यक समझती हूं क्योंकि यह बातें आखिर में राज्य सरकारों पर छोड़ी जाएंगी, इसलिए इसे मेंडेटरी करना आवश्यक है।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि न्याय दिलाने के लिए प्रोविजंस तो बहुत अच्छे हैं, जैसा आपने कहा कि 15 दिन के अंदर न्यायालय द्वारा दखल होना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ इसमें लिखते हैं तो आज की तारीख में देखना पड़ेगा कि कोर्ट्स की क्या स्थिति है, कोर्ट्स के पास कितना काम है और क्या यह संभव हो सकेगा कि न्यायाधीश इस अवधि में उपलब्ध रहे कि पीड़ित को 60 दिनों में न्याय मिल रहा है या नहीं। आज हमारे सामने कितने ही दहेज के केस हैं या और फैमिली केस हैं, लेकिन सभी जगह कोर्ट्स उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन जहां कोर्ट्स हैं भी, वहां न्याय प्राप्त करने में सालों साल लग जाते हैं, इसलिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसमें आपने जो प्रोटैक्शन ऑफीसर की बात कही है, उसे फिर स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ने की बात की जाएगी। â€¦ (व्यवधान)

18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : Madam, just a minute. It is now six o' clock. We have to extend the time of the House.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Mr. Chairman, Sir, we are discussing a very important Bill. Let our sisters not misunderstand us that when there are other important issues, we extend the time of the House and today when we are discussing an important Bill, which is directly related to women, nobody is interested. We are interested in this discussion. My submission is that we can continue the discussion on this Bill up to seven o' clock.

MR. CHAIRMAN: Is it the sense of the House to extend the time of the House by another hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: So, the time of the House is extended up to 7 p.m. At 7 p.m., we will be taking up 'Zero Hour'.

Madam, can you conclude your speech in another five minutes?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर अब कल फिर चर्चा की जाए क्योंकि इस पर बहुत सी महिला सदस्य बोलना चाहती हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, इस विधेयक पर आज सायंकाल 7.00 बजे तक चर्चा कराने से तो अच्छा है कि इस पर कल चर्चा की जाए।

MR. CHAIRMAN: Madam, there are five speakers from BJP and one hour is allotted to your Party. You have already taken 20 minutes. So, I am giving you another five minutes. Please conclude your speech in another five minutes.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, मैं प्रयास करूंगी कि अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त कर दूं। â€¦ (व्यवधान)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सभापति जी, माननीय सुमित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान दिला रही हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन्हें मेरा समय भी दे दीजिए।

सभापति महोदय : त्रिपाठी जी, आपका अपना कोई टाइम नहीं होता है। आपकी पार्टी का टाइम होता है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, मैं प्रोटैक्शन आफीसर की बात कह रही थी। इसे आपने स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ा है। ठीक बात है, क्योंकि हर जिले में प्रोटैक्शन ऑफीसर होगा। इसीलिए इसे स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ा है। मेरा सुझाव है कि प्रोटैक्शन ऑफीसर कोई सीनियर रैंक का अधिकारी होना चाहिए। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि डावरी के केस में आपने प्रोटैक्शन ऑफीसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलैक्टर को बनाया है और इसका भी आप कलैक्टर को ही प्रोटैक्शन ऑफीसर बनाना चाहते हैं। प्रायः देखा गया है कि जिले में हर चीज का अध्यक्ष कलैक्टर होता है। एक जिले में इतने काम होते हैं कि कोई भी कलैक्टर चाहकर भी हर

चीज के लिए उतना सम्य नहीं निकाल पाता जितना जरूरी होता है। कलैक्टर स्वयं अपने आप में एक कोर्ट भी है। वहां रैवेन्यू केसों की सुनवाई भी होती है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती हूं, लेकिन मैंने देखा है और महसूस किया है कि कलैक्टर चाहते हुए भी उतना सम्य नहीं दे पाते। इस चीज को भी रूल्स बनाते सम्य ध्यान में रखना आवश्यक है। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि महिला आयोग को बनाने का जब विधेयक हमने यहां से पारित किया, उसके बाद जब उसके रूल्स बनाए गए, तो उसका कुछ दूसरा ही चित्र उभरकर आया। जैसा हमने यहां से पारित किया, रूल्स बनाने के बाद उसका वैसा स्वरूप नहीं बना।

सभापति जी, इसलिए मेरा आग्रह है कि यदि डी.एम. अथवा कलैक्टर को अगर आप प्रोटैक्शन आफीसर बनाते हैं, तो उनके पास इतना सम्य भी होना चाहिए ताकि वे ऐसे केसेस को सम्य दे सकें, क्योंकि जब यह विधेयक पारित हो जाएगा, तो जिलों में इतने केसेस आएंगे कि आपको कोर्ट सिविल कोर्ट की तरह केसेस सुनने पड़ेंगे। प्रोटैक्शन ऑफीसर्स को ऐसी शक्तियां भी देनी चाहिए कि यदि वह किसी शैल्टर होम या मैडीकल ऑफीसर को आदेश दे, तो वे उसका पालन करें। इसमें आपने कुछ ऐसी मैंडेटरी चीजें की हैं, उनके अनुसार वे काम कर सकें; इस बात का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है।

सभापति जी, मैं दो-तीन छोटी-छोटी बातें कहना आवश्यक समझती हूं। बन्द कमरे में आपने इसकी सुनवाई रखी है। यह बात भी ठीक है और मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरैक्शन दे सकता है, यह भी ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात इसमें आपने और की है, जिसकी मैं प्रशंसा करती हूं। अभी तक तो यह होता था कि महिलाओं के लिए अन्य केसेस में मैंटिनेंस का प्रावधान था। Maintenance includes residence, यह कहा जाता था।

Residence, food, clothing and all these things, लेकिन यहां आपने अलग से मैट्रीमोनियल होम में रहने का जो अधिकार दिया है, यह भी एक बहुत अच्छी बात उसमें की है और उसके अन्तर्गत भी जो आपने कहा कि वह रेंट आउट नहीं कर सकता वगैरह, जो कई प्रावधान दिये हैं, यह भी अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटैक्शन आफिसर को भी एक प्रकार से आपने, अगर वह ठीक काम नहीं करे तो कहीं न कहीं उसके ऊपर भी एक्शन का प्रावधान किया है। एक और बात, महिलाओं का मानसिक शोाण हमेशा होता है, जब केस चलता है - मैंने अनुभव किया है - तो बच्चों की कस्टडी को लेकर साइक्लोजिकली शोाण होता है कि हम बच्चों को नहीं देंगे, मैं एक वकील भी हूं, फिर वह महिला बेचारी गिड़गिड़ाती रहती है, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ती रहती है, क्योंकि आखिर में वह मां है। लेकिन यहां जो आपने एक प्रकार से दिया है कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह तुरन्त बच्चों की कस्टडी उस महिला को ही दे, यह एक प्रकार से वहीं का वहीं जो अधिकार तुरन्त दिया गया है, उससे भी कहीं न कहीं उस महिला को थोड़ी सी राहत मिलेगी।

आखिर में मैं 2-3 बातें और कहूंगी, क्योंकि बाकी भी हमारी महिलाएं और पाइण्ट्स रखेंगी। में उसमें कुछ बातें, जो ध्यान देने लायक हैं, आवश्यक हैं, वह भी कहूंगी, अच्छी बातें तो करीब-करीब सब मैंने कीं, वह बात ठीक कही। लेकिन एक बात हमें सोचनी है। पहली बात तो यह है कि महिलाओं के काम का कहीं भी आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता। महिलाओं का क्यों शोाण होता है, क्यों अत्याचार होता है, क्यों उसको हेय दृटि से देखा जाता है, जबकि वह सब प्रकार से 73 परसेंट काम करती है। लेकिन अगर देखा जाये तो जमीन-जायदाद में, खेती की जमीन में एक परसेंट अधिकार उसको है, एक परसेंट आज उसके नाम पर है या मकान के मामले में भी देखा जाये तो तीन या चार परसेंट मकान में अधिकार अभी हिन्दू सक्सेशन एक्ट में कुछ अधिकार हमने दे दिया है, लेकिन वह भी सभी महिलाओं को नहीं मिला है। गुलाम नबी आजाद जी, अभी आपकी महिलाओं को अधिकार नहीं मिले हैं, इसलिए मेरा कहना है कि महिलाओं के कार्य का कहीं न कहीं आर्थिक रूप से इवैल्यूएशन जो होना चाहिए, वह नहीं होता है, हम खुद भी नहीं करते हैं।

मैं थोड़ा सा सम्य और लूंगी, एक छोटी सी बात याद आ गई। एक लड़के को एक बार स्कूल में कहा गया कि घर जाकर कल लिखकर लाना कि आपकी मां क्या करती है। पहले तो बच्चा कहेगा कि मेरी मां क्या करती है कुछ नहीं तो टीचर ने कहा कि घर जाकर फिर लिखकर लाना। वह बच्चा दिन भर मां के पीछे-पीछे घूमता रहा। पहले उसने लिखा कि मां कपड़े धोती है, फिर लिखा - मां बरतन मांजती है, फिर लिखा - मां बाजार भी करती है। फिर वहीं कहीं देखा कि कहीं चोट लगी तो उसने लिखा कि मेरी मां डॉक्टर जैसा काम भी करती है, पट्टी भी बांधती है, अनेकानेक बातें वह लिखता चला गया। शाम हो गई तो पापा घर आ गये और उसने कहा कि मुझे तो आज लिखना है कि मेरी मां क्या करती है, यह भरकर देना है। एक ही लाइन में पति ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, डैश मार दे, कुछ नहीं करती, घर में ही तो रहती है। मां क्या करती है - कुछ नहीं करती है। यह बात स्वयं यदि किसी महिला से, जो घर में काम करती है, अगर वह सर्विस नहीं करती, उससे पूछो तो वह भी कहेगी, मैं क्या करती हूं, कुछ नहीं करती।

यह भी हमने कहा था, जब जेंडर बजटिंग की बात हमने कही तो मैंने कहा कि इसे भी एक सर्वेक्षण में लेना चाहिए, आर्थिक इवेल्यूएशन उसके काम का भी होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात शुरू हो गई, लेकिन यह सब होने के बाद भी एक बात है। जो मैंने निकालने की कोशिश की थी, लेकिन आपने फिर से वह बात जोड़ दी है। रिलेशन की जो बात आपने इसमें की है और रिलेशन में आपने कहा है कि लिविंग टूगैदर और उसमें पत्नी के अलावा जो महिला है, थोड़ा सावधानी रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मान्यताओं को हम कहीं न कहीं उस पर कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं, उसे भी अधिकार रहेगा और इसलिए आपने डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो व्याख्या की है और उस व्याख्या में यह कहा है: 'relationship in the nature of marriage, living together' यह जो कल्पना है, ठीक है, उसे भी न्याय मिलना चाहिए। मैं यह भी नहीं कहूंगी, सब पुरुा लोग माफ करना, कई बार पुरुा वर्ग शोाण करता है। मजबूरी में कोई महिला ऐसी बातों पर उतारू हो जाती है, यह भी कई बार होता है। वह खुद नहीं चाहती है कि एक्स्ट्रा मैरीटल अफेयर्स मेरे किसी के साथ हों, नहीं होता है, मगर कई बार मजबूरी में हो सकता है। उसको भी न्याय मिलना चाहिए। मैं यह तो नहीं कहती हूं कि नहीं मिले महिला तो महिला है लेकिन एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। जैसा उसमें कहा गया है कि ऐसी महिला को भी हाउस होल्ड शेयर में स्थान मिलेगा। उसको भी आईपीसी की धारा 123 के अंतर्गत मैनटेनन्स का अधिकार होगा, वह मैनेटेनन्स मांग सकेगी। यह सब करते सम्य हमें ध्यान में रखना होगा कि शादीशुदा पत्नी के अधिकारों पर कुठाराघात न हो या उसके अधिकारों में कोई विभाजन न हो। हम एक महिला को अत्याचार से मुक्ति देते सम्य किसी दूसरी महिला पर तो अत्याचार नहीं कर रहे हैं। इन चीजों का भी इसमें ध्यान रखना होगा। इसलिए जब मैंने इस बिल को बनाया था तो मैंने उस सम्य इस चीज को नकार दिया था कि इस रिलेशन को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपने उसी चीज को ध्यान में रखा है। Add किया है मैं इसका विरोध तो नहीं करूंगी, लेकिन इस बारे में आपको सावधान अवश्य करना चाहूंगी कि इन चीजों पर अवश्य ध्यान दें, मजिस्ट्रेट की कमी पर ध्यान दें, प्रोटेक्शन आफिसर के बारे में ध्यान दें। इस क्षेत्र में जो एनजीओज़ अपनी सर्विसिज़ देंगी, उसके साथ-साथ जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनका रोल जैसा पहले होता था, घर को ठीक रखने का, वह भी रहना चाहिए। After all, it is a civil remedy. सभी बुजुर्ग लोग तो अपराधी नहीं होते हैं।

मेरे मन में एक बात आयी है कि जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तब एक बहुत बड़ा चंक जो घर में काम करने वाली लड़कियां का है। उन पर जो अत्याचार होता है। अकेले मुम्बई में चार लाख ऐसे घरेलू नौकर हैं, उसमें से 40 प्रतिशत 15 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं। मैं यह नहीं कहूंगी कि सभी घर में काम करवाने वाले उन पर अत्याचार करते हैं। लेकिन घरेलू हिंसा की शिकार हो रही काम करने वाली लड़कियां पूरी की पूरी इस न्याय से अछूती रह रही हैं। आपने जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात कही है, उससे ये लड़कियां बिलकुल अछूती रह गई हैं। घरेलू हिंसा में इनके ऊपर भी अत्याचार होते हैं, घर में रहने वाली महिला के ऊपर तो हो ही रहे हैं और उन्हें तो आप सीविल प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। उन लड़कियों के लिए भी कहीं न कहीं सोच हमें रखनी होगी। अब यह कैसे रखनी और क्या रखनी है, मुझे विश्वास है कि महिला होने के नाते इस पर श्रीमती कांति सिंह जी सक्षमता से विचार करेंगी। आज घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन का जो बिल लाया गया है और उस पर जो सुझाव हमने दिए हैं, उस पर विस्तृत मानसिकता से परिवर्तन करने की दृटि से भी हमें सोचना होगा। गांव और शहरों में स्त्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हुई कैसे अपने परिवार को चला सकेगी। इन सब दृटिकोणों का ध्यान में रखकर महिलाओं को अधिकार देने की जो बात कही है, मैं उसका स्वागत करती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

SHRIMATI D. PURANDESWARI (BAPATLA): Thank you, Chairman, Sir. Today, I rise to take part in the discussion on the Bill which is being presented today in the House, namely, the Protection of Women from Domestic Violence. I would not be justified if I am to say that this is the most important social legislation which has been brought in, but I would definitely be if I am to say that this is one of the most important legislations which have been brought up since Independence. This is a positive stride towards protecting women against the steps taken to assault on the women's most basic fundamental right, that is, to lead a life of honour and dignity. Domestic violence today is a global phenomena, which is on the rise. A UNPF Survey has revealed that one out of every three women is subjected to some form of violence or the other.

Sir, it may be in USA, it may be in India, it may be in South Africa, it could be in Brazil, Peru or any other place; today, domestic violence cannot be seen in isolation. It cannot be subjected to or restricted to one region.

There are various forms of violence. Certain forms of violence like wife-beating, molestation and rape are considered universal forms of violence whereas certain forms of violence like *sati*, dowry harassment, dowry death, female foeticide, female infanticide, or, for that matter, even witch-hunting are perpetrated by certain cultural groups. The forms may vary in domestic violence but ultimately the purpose remains the same and that is to disempower women and maintain male dominance.

Domestic violence is the most pernicious and most insidious form of violence. I would call it pernicious because it is directed against women who are supposed to carry the generations further. I would call it insidious because it is committed within the confines of the home, which is considered the safest sanctuary for the occupants of the house.

Even if we look at the institution of marriage which is considered very sacred, people enter the institution of marriage not out of respect, love or affection for the other person but they enter into the institution of marriage with the conservative outlook that man has to protect the woman. In this very conservative outlook itself, male chauvinism is being fanned and this has ultimately led to various forms of domestic violence which we are seeing in our society today.

Our womenfolk suffer in silence because of the social norms and also because of her economic dependence on the perpetrators of the violence. Today, 'domestic violence', as we are calling it, is seen by everybody yet it is unseen by anybody. It is seen by everybody because relatives, neighbours, friends and everybody else is aware that the woman is being subjected to domestic violence. Yet it is unseen by anybody because nobody wants to intervene in the domestic problems of another person. It is this 'seeing yet unseeing' attitude which is making the existing laws very ineffective, more so because courts do not want to peer and see what is happening inside any household.

In the present legal regime, there is no civil law that could provide protection to a woman who is being subjected to some form of domestic violence or the other. In this context, the woman has only two options before her. The first is that she has to resort to criminal law on cruelty, which means she has to resort to section 498 (a) of the IPC; or, she has to obtain divorce from the man under the civil law. Section 498 (a) has been made compoundable and bailable in some States under the pretext that women have been misusing this section of the IPC but in the absence of a civil law, women require a protection under criminal law. Therefore, not providing a civil law and saying that women are misusing criminal law is not only very invalid but also a very superficial excuse being given to the woman today. It is just the agony and pain of those women who have been subjected to dowry harassment and have died in their matrimonial homes which has given birth to section 304 (b).

Between sections 498 (a) and 304 (b), which are criminal laws, there is no civil law which provides protection to the women in totality or in entirety. All the available recourses extend protection to the married woman. This leaves a large section of the women, or rather a large percentage of women out of the protection of law. The Protection of Women from Domestic Violence Bill has been presented as a civil law, which a woman can take recourse to whenever she is subjected to violence and in case of emergency relief. In this scenario, the introduction of this Bill is a very welcome measure and it is expected to bring a sea change in the societal attitudes towards the problem of domestic violence.

This Bill which is being discussed today is an improvised version of the previous Bill. There have been many amendments made to the Bill and certain amendments are worth noting here. The first is the very definition of the word, 'domestic violence'. It has been extended. It has been very comprehensive to cover not only physical abuse or sexual abuse but it is also extended to cover threatened abuse which can be sexual or verbal. It can be economic or it can also be emotional.

Another redeeming feature of the Bill is the recognition of woman's right to residence in her matrimonial home or the shared home even though she does not have a right or a title over the household. This is very welcome because at

the very first instance of domestic violence, what a man does is, he immediately thinks of throwing the woman out of the house, knowing fully well that she has no shelter and no parents would want to take her back because of the social stigma that is attached to a woman who has been deserted by her husband. So, this is a very welcome measure.

This Bill further protects the women from the harassment of unlawful dowry demand. This is also a very welcome measure and the very fact that this

Bill has been extended to not only the wife but also other members related to the man living with him -- it could be the mother, the sister or it could be the widow or a single woman who is living with the man in the house sharing with him -- is also a very welcome measure.

The most important amendment, which has been brought here, is very welcome and that is that the respondent should be a male. This prevents the mother-in-law or the daughter-in-law from filing cases against each other. So, this is a very welcome measure.

Another welcome measure, as Shrimati Sumitra Mahajan has just now pointed out, is the custody of the children. This is very much welcome because not only, as is said, the mother literally yearns for the children but it also has a negative psychological impact on the child who has been separated from the mother. So, in view of this, a good balanced psychological growth of the child will be there. It is a welcome measure that the custody of the children is being granted to the mother.

However, there are still some inadequacies which I feel should be brought to the notice of the concerned Minister through the House. I definitely feel that a focussed attention needs to be drawn to these inadequacies. There is one provision for which I would like to take exception to Shrimati Sumitra Mahajan. She was actually for that, and that is the *in-camera* proceedings of the trial. Our past experiences have revealed to us that whenever there was an *in-camera* proceeding, especially in rape cases, the effect was adverse. The abuser was the one who was gaining out of this and the respondents were at an advantageous position because the abused is in a fragile state of mind which the abuser can change to his or her own advantage. So, this should not be mandatory if either party agrees. But it should be made mandatory only if the aggrieved agrees. So, that should be taken into consideration.

The other inadequacy that I would like to draw the attention of the House to is that the Bill makes the provision for the interim protection order so that the aggrieved person can have an immediate relief. This would be more effective and meaningful if specific provision is made within the law so that the Magistrate would be available within or outside the court hours and also on days which are not court days. For example, as pointed out by the hon. Member who spoke earlier, the case is supposed to be disposed of in 60 days. But on some pretext or the other the case gets prolonged and the abused already is in a very bad state of mind, and she is literally looking forward for justice to be meted out to her. In view of this, this measure should be provided that the Magistrate is made available within and outside the court hours and also on days which are not court days.

The Protection Officers have been provided immunity. This is in view of the fact that the action taken by them is all in good faith. The service providers also should be provided protection under this law because they are actually voluntary associates who have been entrusted with the very onerous task of protecting the rights and the interests of the women. They do so by providing them with legal, medical and financial help and also by giving them psychological and emotional support. So, protection of these Officers, who are service providers, is very important. This should definitely be provided for in the law.

The next point is that the appointment of the Protection Officers should be done with great discretion because apart from bureaucratization taking very long in meting out justice to the aggrieved, these Protection Officers are also entrusted with very very wide-ranging powers and these powers can be also misused and sometimes even abused. In view of this, the identification and the appointment of these Protection Officers must be done with great discretion and rightly, as the Bill provides, they should undergo the training period which is very important. Also, the direct access of the victims to the courts should not be limited by the appointment of any intermediaries. Even this should be taken care of.

At present the conduct of the offender who forces the aggrieved person into an incestuous relationship has not been covered in this Bill as far as my knowledge goes. Since this is a very very heinous crime and it runs against all social norms, this should be condemned. All of us are aware what incestuous relationship is. Usually it is between brothers and sisters and father and daughter. But still, when the woman is forced, she has no other alternative. Definitely, the women should be protected from being forced into such kind of heinous and unthinkable relationship.

The next point is that the domestic violence leaves a very very dark and indelible scar on the mind of the woman because she passes through a very very traumatic experience. The Magistrate should be vested with the powers to appoint a clinical psychiatrist if he thinks it is very very essential to help the victim and it is a very necessary and a very important provision because she has already been hurt internally and it is going to take her some time to overcome the pain and the agony that she has undergone and she definitely needs help in this quarter.

I also subscribe to what Shrimati Sumitra Mahajan has just said. Leaving children out of this Bill is very very unwarranted because children who have lost both the parents and children who have lost the grandparents are also subjected to violence. They are also subjected to ill-treatment and they are also forced to lead a very very destitute and a very poor and a bad life. Especially the girl-children are made very soft targets and they are also forced into flesh trade. So, to protect the children from such kind of maltreatment or bad treatment, they should also be provided for in this Bill failing which, at least, they should come up with some form of a legislation to that effect.

These are the few inadequacies that I would like to bring to the notice of the House and I am definitely hoping that this Bill would bring in a major change in the social status of the women, which is very important because all these years woman has been confined to the four walls of the house and she has been subjected to many forms of violence. As we all know, violence against women or in other words atrocities against women are very very deep-rooted and they are inherent. This Bill can definitely offer us some kind of a recourse, can offer us some kind of a rehabilitation to the women. I am very assured and ensured that this Bill, once it is passed as a civil law, will definitely give help to the women.

With these few words, I thank you for giving me the opportunity.

SHRIMATI MINATI SEN (JALPAIGURI): I have already given the notice to speak in Bengali.

The Protection of Women Against Domestic Violence Bill 2005 which has been tabled today is a welcome gesture of the Government. I on behalf of my party CPI(M) support the Bill. For a long time the women organisations have been demanding this and I congratulate the concerned Minister for the commendable initiative. Sir, 58 years have passed since independence. Our Constitution makers have kept enough provisions for the women. Many laws have been enacted. But unfortunately our outlook has not changed. We still consider a woman as a commodity. In our country, we consider women as second class citizen. We demand that they should be beautiful as 'Laxmi' having qualities as 'Saraswati' with habits like 'Sita' who is capable to cook like 'Droupaid' 'Urbashi in bed and 'Florence Nightangle' as a nurse. We expect that she would be beautiful, talented, attractive and caring at the same time.

In our society there is oppression. One class exploits the other. And those who want to keep the class exploitation and class rule intact, never want that the major part of the poor sections of the society, the women forge ahead. As a result the laws which are there for the poor, especially women are not implemented.

Violence against women is also an issue of human rights. "It is imperative to secure and maintain women's basic rights for economic parity, social peace and security. Violence and the fear of violence is profoundly disabling to women or preventing their full participation in development."

Domestic violence not only adversely affects the health of a woman it can also cause temporary or permanent disability. Social status and dignity and emotional well being are also breached. There are certain provisions in the articles 14, 15 and 21 of the Constitution. They should be properly implemented and that is the objective of this Bill.

---

* Translation of the speech originally delivered in Bengali.

In article 15 it has been said that discrimination on the basis of sex is unconstitutional. The Constitution makers have said long ago that there is no difference between male and female as far as rights are concerned. But it is unfortunate that after so many years of independence, to safeguard the rights of women, a new Bill had to be introduced for the purpose.

The practical situation is that in this country, majority of the poor women are illiterate and economically weak. A woman during her childhood depends on her father; when she becomes adult, she depends on her husband and after that depends on her children. The state machinery also does not implement the laws properly and justice remains a far cry.

I don't want to make any negative comment about the Bill's objective. I urge upon the Government to implement the law in true spirits.

In this society, domestic violence curbs the rights of women. It is used as a tool to hinder the growth of the fairer sex.

Domestic violence is a universal issue. Sir, in a report of UNO, it has been said that Denmark, Switzerland, Germany, Spain and England don't have actual figures but in USA every year 3 to 4 lakhs of women are beaten by their husbands. We are not far behind. In 1989, 68,072 cases of domestic violence were registered in India; in 1999 the number became 1,35,771; in 2000-04 the number was 7,11,778.

On 27 January 2005, in Asian Age newspaper, it has been written that in Rajasthan 18 sati cases took place but to date, no one has been punished. But so many years ago Raja Rammohan Roy had fought this menace. We still remember him for that.

Dowry problem is also a very grave problem. Women are killed or forced to kill themselves for dowry. According to NCRB Report 2517 cases have been filed for dowry and 9313 for suicides in the year 1998. There has been a 278% increase in the incidents of domestic violence from 1989-99.

The Bill is undoubtedly a comprehensive one. But some other forms of violence like not letting her avail educational opportunities, denial of reproductive rights, denial of access to health facilities and opportunities, denial to her political rights.

Mr. Chairman, Sir, domestic violence against women is a universal issue. Some religious organisations, particularly Muslim organisations debar their women from participating in political process. They have issued *fatwas.*

The problem of domestic violence is deep rooted. Only one law cannot eradicate the problem. People have to be made conscious about this. Women should be given education, training so that they can become economically independent. The self help groups can come forward. In India, women are attached to cottage industry which has to be revived.

Sir, I once again support the Bill. But I would say that before appointing the Protection Officers one should be very cautious. If they don't have a clear outlook the victim will not get justice.

Moreover, the domestic helpers, the aged persons, mentally and physically challenged persons should also be brought under the purview of this Bill. The physically challenged persons should also be included.

In 2005 March 5, the Telegraph carried a news item with the caption 'Nobody's children'. Writer was Shri Debabrata Mohanty.

He has written there, I quoteâ€¦

> 'For the disabled women in Orissa,domestic violence is a, horror they have to cope in silence.'
>
> He wrote, "More than 12% physically challenged women have been raped and 15% molested' while the count is 25% and 19% respectively for the mentally challenged."

Naturally I feel that the scope of this Bill should be extended. I thank you for allowing me to speak. I support it once

again and end here.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए भी मजबूर हूं। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह विधेयक क्यों लाया गया है? अपने देश में आईपीसी धारा के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से तमाम धाराओं का उल्लेख किया गया है - दहेज प्रथा की अलग धारा है, बलात्कार की 376 धारा है, भ्रूण-हत्या के लिए अलग धारा है। क्या ये तमाम धाराएं कमजोर पड़ गयी हैं जो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी है।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): This is a civil matter, and what you are referring to is a criminal matter.

श्री शैलेन्द्र कुमार : इस विधेयक से ऐसा प्रतीत होता है कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को यह विधेयक जन्म देने वाला है। अगर आप इसकी गहराई में जाएं जैसा कि इसका नाम है " घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005" तो अगर पति का पत्नी से टकराव हो गया और वह थाने में चली गयी तो समझ लो कि पति बेचारे की तो छुट्टी हो गयी।

यह तो विदेशों में होता हैं जहां पति की जिंदगी अलग है, पत्नी की जिंदगी अलग है और बच्चों की जिंदगी अलग है। क्या उसी सभ्यता को हम इस विधेयक के माध्यम से लाने वाले हैं - इस बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा।

जहां तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात है तो आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जहां तक महिलाओं पर अत्याचार की बात है तो चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे बलात्कार हो या भ्रूण हत्या का मामला हो, उनके लिए आईपीसी धारा के अंतर्गत तमाम धाराओं का उल्लेख है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस धारा में पति या रिश्तेदार के द्वारा मान लीजिए अत्याचार हुआ है, तो आईपीसी की धारा में 498 (क) के तहत तमाम आपराधिक धाराएं हैं और मैं तो कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को लाने से पहले हमें सबसे पहले नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और उस नारी शिक्षा को हमें रोजगार से हमें जोड़ना पड़ेगा। इस संबंध में हमारी तमाम बहनों के विचार आए हैं, सुमित्रा बहन जी के विचार आए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि नारी को अच्छी तरह से शिक्षा दे दें और उसे रोजगार से जोड़ दें तो मेरे ख्याल से इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज यहां पर सत्ता पक्ष ओर विपक्ष के तमाम साथी बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए कि आपके क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में जिनका क्षेत्र होगा, वहां कितने कन्या विद्यालय खुले हैं? मेरे ख्याल से बहुत कम कन्या विद्यालय हैं, कक्षा 5 या कक्षा 8 पढ़ने के बाद हमारी बेटियां घर में रहती हैं और इसके बाद उनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं। फिर हम यह कह रहे हैं कि घरेलू हिंसा पर विधेयक लाने की जरूरत हे, मेरे ख्याल से इसकी आवश्यकता नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम नारी शिक्षा को और मजबूती से लागू करें और उसके लिए अलग से काननू बनाने के आवश्यकता है तथा उसको सीधे शिक्षा के बाद रोजगार से जोड़ना होगा।â€¦ (व्यवधान) इसीलिए आज महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ा है। इसमें दूसरी बात यह कही गयी है कि वे स्त्रियां जो माताएं, बहनें, विधवाएं हैं जो दुर्व्यवहारी के साथ रह रही हैं, प्रस्तावित विधान अधीन विधिक संरक्षण के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह ठीक है कि यह विधेयक इसके लिए लाया गया लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है कि यह परिवार को बिखेरने वाला है। सुमित्रा बहन जी ने बहुत विस्तार से कहा कि छोटी-छोटी बातों पर हम लोग लड़ते हैं, चाहे लड़कियां हों, पत्नियां हों या बहुएं हों, उसके बाद कुछ परिवार ऐसे हैं जो दो-चार दिनों के बाद दुबारा घुल-मिल जाते हैं और अगर यह विधेयक आ गया तो आपके पड़ोस में ऐसे लोग हैं, जो आपसे जलन रखते हैं, वे आपके रिश्तेदार भी हों, वे उन्हें भड़का देंगे और महिलाएं जाकर रिपोर्ट कर देंगी फिर आप उसको भुगतिए।â€¦ (व्यवधान) ठक्कर बहन जी, यह मेरा विचार है, आप मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में अपने विचार रखिएगा।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी आप बोलिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का दुरुप्योग न होने पाए। इस संबंध में माननीय मंत्री जी बहुत गौर करना पड़ेगा कि आप जिस मंशा से इस विधेयक को लेकर आई हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में, इस विधेयक को लेकर आई हैं, इसका दुरूप्योग न हो, इसका भी हमें बहुत ख्याल रखना पडेगा। आज हम देख रहे हैं कि समाज में अश्लीलता कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अभी इसी सदन में हमने महिलाओं पर अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार पर चर्चा किया है। दिल्ली में पिछले साल 525 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। अन्य प्रदेशों की रिपोर्ट आप देखिए, कहीं ओर ज्यादा भी यह संख्या हो सकती है। अगर पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े लें, तो बहुत ज्यादा शोाण और अत्याचार हुआ है। आज हम अश्लीलता पर कानून नहीं बना रहे हैं। जगह-जगह अश्लील पोस्टर्स लगे हुए हैं। आप विज्ञापनों को देख लीजिए, हम पर्दा नहीं कर रहे हैं। हमारी जो लड़कियां, बहू-बेटियां हैं, उन्हें देख लीजिए, वे किस तरह का पहनावा पहन रही हैं और आप कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। टीवी में आप देख लीजिए, कभी-कभी समाचार देखने के लिए हम बैठते हैं, तो हम अपनी बहू-बेटियों के साथ समाचार नहीं देख पाते हैं। विज्ञापन इतने फूहड़ होते हैं कि हमें देखने में भी शर्म लगती है कि कैसे हम समाचार देखें? इस पर हमें रोक लगाने की जरूरत है। भ्रूण हत्या के बारे में तमाम कानून बने हैं, लेकिन आप देखिए कि ज्यादातर हमारी माताएं, बहनें गर्भ्वती होती हैं, तुरंत उसे हर महीने चेक-अप के लिए ले जाते हैं, उसी बहाने आपने अल्ट्रासाउंड भी करा लेते हैं, भ्रूण परीक्षण भी करवा लिया। लड़की हुई तो उसकी आपने भ्रूण हत्या करवा दी, तो आज जरूरत इस बात की है कि इस ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें विशेष तौर पर कानून लाना होगा, तभी हमारा यह मकसद पूरा हो पाएगा, जो आप इस विधेयक को लेकर आई हैं।

केरल शतप्रतिशत साक्षर राज्य है, चिकित्सा के मामले में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उसने कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन वहां भी आज शोाण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। चालीस प्रतिशत महिलाएं जो घरेलू हिंसा की शिकार हुईं हैं, उसमें 11 प्रतिशत महिलाओं से जो साक्षात्कार लिया गया , तो उन्होंने यह कहा कि 11 प्रतिशत माताओं का यौन उत्पीड़न हुआ । 12 परसैंट महिलाओं ने कहा कि बचपन में उनका यौन शोाण हुआ। आज इस पर विशेष ध्यान देना होगा यानी जो पुरानी सभ्यता, संस्कृति थी, माताओं-बहनों के प्रति जो मान-सम्मान था, वह कैसे कायम हो, वह देखना होगा। हमें पाश्चत्य सभ्यता की ओर नहीं, पुरानी सभ्यता की ओर लौटना होगा तब इस विधेयक का मकसद पूरा हो पाएगा। घरेलू हिंसा में ज्यादातर शराब सबसे बड़ा कारण है। घर का मुखिया चाहे पिता हो या भाई हो, घर का कमाने वाला शराब पीता है तो झगड़े होने स्वाभाविक हैं। यही लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ है। दूसरी तरफ वह कभी पत्नी के चरित्र पर शंका करने लगते हैं। वह किसी के यहां काम करने गई या घर-परिवार में रहते थोड़ी शंका हो गई तो अत्याचार स्वाभाविक है। छोटी-छोटी घटनाओं पर अगर इस बिल का दुरुप्योग होना शुरू हो जाएगा तो आप समझ लें कि समाज का स्वरूप क्या होगा?

कभी-कभी पैसे की तंगी होती है और आदमी के पास काम नहीं होता है तो वह पूरा गुस्सा पत्नी पर उतारता है। पत्नी डिमांड करती है कि मुझे यह चाहिए, वह चाहिए। अगर उस पर झगड़ा हो गया तो वे इस विधेयक की शरण लेंगी। वे इस विधेयक की शरण में जाएंगी तो इसका दुरुप्योग होगा। â€¦ (व्यवधान)

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Who is corrupting women? ...(*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप मुझे बोलने दीजिए। परिवार में दहेज की मांग होती है। यह उससे जुड़ा सवाल है। आज जिस प्वाइंट पर मैंने आपका ध्यान आकर्ति किया, हमें इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर बना देंगे तो इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड को लीजिए। वह ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र है। वहां 50 प्रतिशत

नौकरी पेश हमारी माताएं और बहनें हैं। ज्यादातर महिलाओं का उनके बॉस शोषण करते हैं। यह रिपोर्ट आई है। हमें इस ओर विशेष ध्यान देना होगा।

श्रीमती कान्ति सिंह : इसके लिए अलग कानून है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अगर आप हर चीज के लिए अलग कानून बनाएंगी तो इस कानून का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आज लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट आई है कि घर में बच्चियों को खिला नहीं पाते हैं तो उन्हें बेच देते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि उस पर रोक लगायी जाए।

इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा न कहते हुए इतना कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष का आंकड़ा देखें तो 22480 महिलाएं गुम हो जाती हैं। 5450 को कोई अता-पता नहीं है। जो महिलाएं, बहनें गुम हुई, उन्हें वैश्यालय में धकेलने का काम किया जाता है। आज जरूरत स बात की है कि हम यह देखें कि आबादी पर किस प्रकार से कंट्रोल हो? मैं रोज एजेंडा में देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चर्चा को देख रहा हूं लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही है। देश का विकास न होने का प्रमुख कारण यही है। हमें आबादी पर कंट्रोल करना पड़ेगा तभी इस विधेयक का मकसद पूरा होगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा न कहते हुए, इस विधेयक से सहमति व्यक्त नहीं करता हूं। मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का समय दिया। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण विधेयक, 2005 महत्वपूर्ण विधेयक है और इसके महत्वपूर्ण होने के कई कारण हैं। वर्तमान व्यवस्था में आईपीसी या सीआरपीसी, जो भी प्रावधान हैं, उनके तहत आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रावधान हैं। लेकिन उसमें बहुत प्रिलफेरेज भी हैं, एस्केप के बहुत बहाने भी हैं। वर्तमान स्थिति में कभी लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय है, इस तरह के बहाने किए जाते हैं। लिंग के आधार पर भ्रूण हत्याओं के लिए भी कानून बने हैं और इन पर रोक लगाई गई है। लेकिन आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले और अब में जांचशालाओं की गतिविधियों में इतना ही फर्क है कि पहले उन्हें रिपोर्ट दी जाती थी और अब पेट में लड़का है या लड़की, कह दिया जाता है। आज रिपोर्ट नहीं दी जाती, चुपके से कह दिया जाता है, इतना ही फर्क पड़ा है। सब कुछ हो रहा है, पिछले कई वर्ष, इसका प्रमाण हैं कि पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की के अनुपाते में भ्रूण हत्या की वजह से जो अंतर था वह अंतर आज भी बरकरार है। इसकी पृष्ठभूमि में सामाजिक स्तर पर लिंग भेद, दहेज प्रथा, पुरुष प्रधान समाज की यथास्थितिवादिता, रूढ़िवाद और मनुवाद, सब कुछ शामिल है, संयुक्त रूप से शामिल है। इस देश में सालाना बलात्कार के लगभग 15,000 मामले दर्ज होते हैं जिसमें से 90 प्रतिशत मामले या तो रफा-दफा कर दिया जाते हैं और प्रमाण के अभाव में कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता है। अब पुलिस शिकायतों की बात आती है, आप आए दिन सुनते हैं कि कितना असुविधाजनक होता है किसी बलात्कार की शिकार स्त्री का पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाना, एक पुलिस पदाधिकारी के सामने जाना। जब उससे विस्तार से पूछा जाता है तो कितना ह्यूमिलेटिंग होता है, इस बात की कल्पना की नहीं जा सकती है। अदालत में जब इस प्रकार बहस होती है, बहुत लंबे अंतराल के बाद उस अदालत में विस्तारपूर्वक दुर्व्यवहार की उस घटना का विवरण जब वकील पूछते हैं, उस समय वह बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है। अदालत में बहुत मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। गांव और देहात के जो मामले होते हैं, उन्हें संकोच की वजह से दर्ज नहीं कराया जाता। मैं समझता हूं कि बदनामी के डर से, सामाजिक और पारिवारिक दबाव में अदालत में यौन व्यवहार पर पीड़िता से पूछे जाने वाले प्रश्नों के डर से सारे मामले प्रकाश में नहीं आ पाते और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए इस बिल का आना आवश्यक है और यह बिल बिल्कुल प्रासांगिक है। हमें, अपने मित्र, माननीय सांसद श्री शैलेन्द्र जी की बातों से सीख जरूर लेनी चाहिए कि इसमें सतर्कता की जरूरत है।

19.00 hrs.

किसी भी बिल या विधेयक का दुरुप्योग न हो, इसमें सतर्क होने की आवश्यकता है। 1962-63 के दशक में इसी सदन में इस देश के महान समाजवादी नेता और चिन्तक-विचारक डा. राम मनोहर लोहिया ने महिलाओं और पुरुषों के विभेद पर भाषण देते हुये विस्तारपूर्वक संवेदना प्रकट की थी और इसे सामाजिक विषमता की जड़ बताया था। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व ऐसे विचारकों की बातों को सोचकर मैं प्रति होता हूं कि 40 सालों से सुधारों का आयाम चला, सामाजिक न्याय का आन्दोलन चला â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please hear me. You may continue your speech tomorrow. It is now time for Special Mentions.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): That means, he will be on his legs till tomorrow!

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Special Mentions. I request all the hon. Members to speak from their seats. If anybody has any difficulty, he may seek the permission of the Chair.